



मंत्रिमंडल का अहम नरिणय : अब पारट टाइम कार्मकिों को भी मलिंगे सेवानवित्तपरलिाभ, जयपुर में बनेगा पहला जेम बोरस

चरचा में क्यौं?

29 अगस्त, 2023 को मुखयमंतरी अशोक गहलोट की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रपरिषद् की बैठक में 'राजस्थान पारट टाइम कॉन्ट्रेकचुअल हायरगि रूलस-2023' का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोरस की स्थापना तथा वभिनिन संस्थाओं को भूमिआवंटन जैसे महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए। साथ ही, जीव-जंतु कल्याण बोरड का नाम 'अमृता देवी राज्य जीव-जंतु कल्याण बोरड' करने का भी बड़ा फैसला कयिा गया।

परमुख बदि

- मंत्रिमंडल ने 'राजस्थान पारट टाइम कॉन्ट्रेकचुअल हायरगि रूलस-2023' के प्रारूप का अनुमोदन कयिा है। इसमें पारट टाइम कार्मकिों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थकि सहायता पैकेज मलिंगा।
 - ये परलिाभ वभिगों में कार्यरत् पारट टाइम कार्मकिों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानवित्तपर दयि जाएंगे। इन नयिमों के बनने से पारट टाइम कार्मकिों की भरती में पारदर्शता आएगी और उन्हें आर्थकि संबल भी मलिंगा।
 - उल्लेखनीय है कि मुखयमंतरी ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायकिा, कूक, फर्राश आदि जैसे पारट टाइम कार्यरत् मानदेय कर्मयिों को सेवानवित्तपर आर्थकि सहायता देने के उद्देश्य से 'राजस्थान पारट टाइम कॉन्ट्रेकचुअल हायरगि रूलस-2023' की घोषणा की थी।
- **जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोरस:** मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोरस की स्थापना व वकिकास के लयि लगभग 44 हज़ार वर्ग मीटर भूमि आरक्षति दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा है।
 - यह भूमि जेम बोरस की स्थापना के लयि गठति जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोरस (एसपीवी) को औद्योगकि आरक्षति दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटति की जाएगी।
 - इससे रत्नों के नरियात को बढ़ावा मलिंगा। लगभग 60 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर मलिंगे। इससे राज्य के आर्थकि वकिकास और उन्नतपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **जीव-जंतु कल्याण बोरड का नाम अब अमृता देवी राज्य जीव-जंतु कल्याण बोरड:** मंत्रिमंडल ने अमृता बशिनोई द्वारा जीव-जंतु व वन रक्षार्थ दयि बलदिान व जीवों के प्रतिसमर्पण भाव को आमजन तक पहुँचाने के लयि राज्य जीव-जंतु कल्याण बोरड का नाम 'अमृता देवी राज्य जीव-जंतु कल्याण बोरड' करने का अहम नरिणय लयिा है। इससे आमजन को जीव-जंतु कल्याण के लयि प्रेरणा मलिंगी।
- **ज़िला महिला वकिकास अभकिरणों के 9 परयिोजना नदिशक अब माने जाएंगे राज्य कर्मचारी:** मंत्रिमंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (महलिा वकिकास परयिोजना में परयिोजना नदिशकों, परयिोजना अधिकारयिों एवं अन्य अधिकारयिों का वशिष चयन एवं सेवा की वशिष शर्तें) नयिम, 1984 के अंतर्गत चयनति/नयुक्त कार्मकिों को नयुक्ततिथिसे नयिमति कएि जाने का नरिणय लयिा है।
 - इससे ज़िला महिला वकिकास अभकिरणों के 9 परयिोजना नदिशकों को नयुक्ततिथिसे नयिमति राज्य कर्मचारी माना जाएगा। साथ ही, उन्हें राज्य कर्मचारयिों की तरह वेतन-भत्ते एवं अन्य परलिाभ पारणामकि लाभों सहति प्राप्त हो सकेंगे।



PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/important-decision-of-the-cabinet>

